Speed Post

पत्रांक–वन भूमि–57 / 2018......................... / प0व0

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा0व0से0
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002.

पटना–15, दिनांक–..............................

विषय :– गया जिलान्तर्गत ढुंगेश्वरी पर्वत पर रज्जू पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.64 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना द्वारा समर्पित किया गया है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित परियोजना का निर्माण मौजा लारपुर, खाता नं० 1695 (New) 897 and 821 (Old) के अंतर्गत 0.64 हे० वनभूमि पर होना है, जो प्राकृतिक वनभूमि है।

प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सृदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अपयोजित होने वाली कुल वनभूमि 0.64 हे० है। प्रस्तुत परियोजना निर्माण के क्रम में 183 वृक्षों के पातन का आकलन किया गया है। प्रस्तुत वन भूमि अपयोजन के लिए वानस्पतिक घनत्व 0.1 अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत कुल–0.64 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के लिए FRA, 2006 प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

परियोजना निर्माण में पातित होने वाले वृक्षों (183) के बदले 10 गुणे वृक्षों के अर्थात 1830 वृक्षों के वनीकरण का प्राक्कलन वर्त्तमान मजदूरी पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.64 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 4,00,640 / – (चार लाख छः सौ चालीस रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

3. परियोजना निर्माण में पातित होने वाले वृक्षों (183) के बदले 10 गुणे वृक्षों के अर्थात 1830 वृक्षों के वनीकरण का प्राक्कलन वर्त्तमान मजदूरी पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागर तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–
(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक : वन भूमि–57/2018........................./प0व0, पटना–15, दिनांक....................................

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांकः वन भूमि–57/2018.1030(ई)/प0व0, पटना–15, दिनांक 11/9/18

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

11/9/18
(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

VRStg.One177